सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

बोहड़सिंह बनाम हरबंससिंह वगैरा

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 19 / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
12.05.15	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। अप्रार्थीगण व अधीनरथ न्यायालय का रेकार्ड तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को सुना गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए प्रथमदृष्टया मामला निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 23.06.2015 को पेश हो।	
23.06.15	नि०कर्त्ता के अधिवक्ता उप०। पूर्व में जारी स्थगनादेश की अवधि आ० पेशी तक बढ़ाई जाती है। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद अदम तामील - अप्राप्त। रिकॉर्ड अप्राप्त। पत्रावली इंतजार नोटिस दिनांक 9.7.15 को पेश हो।	
9.7.15	नि० कर्त्ता के Adv. उप०। पूर्व में जारी स्थगनादेश की अवधि आ० पेशी तक बढ़ाई जाती है। नि० कर्त्ता के Adv. पुनः नोटिस तलवाना पेश करें। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 6.8.15 को पेश हो।	
6.8.15	नि०कर्त्ता के Adv. उप०। पूर्व में जारी स्थगनादेश की अवधि आ० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रिकॉर्ड तलब करें। नि०कर्त्ता के अधिवक्ता पुनः सम्मन तलवाना पेश करें, पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 18.09.15 को पेश हो।	

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.11.2020 निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी निगरानी प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने निगरानी प्रकरण को प्रार्थी इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण, हस्तगत निगरानी नोटप्रैस में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner